Research Paper | Education | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 11 | Issue : 5 | May 2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षाः एक आवश्यकता अथवा अनिवार्यता

प्रो. छत्रसाल सिंह

आचार्य, शिक्षाशास्त्र, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

ABSTRACT

शिक्षा हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम सभी के लिए अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में एक महान नागरिक बन सकता है। आधुनिक, विकसित और औद्योगिक दुनिया शिक्षा के पहियों पर चल रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारत भर के परिवारों में विकास का एक प्रमुख उत्प्रेरक है। NEP 2020 हमारे स्कूली शिक्षा प्रणाली में ढांचागत समर्थन के माध्यम से समावेशी शैक्षिक संरचना और समावेशी शैक्षिक संस्कृति को विकसित करने और सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता आदि जैसे मानवीय मूल्यों पर सामग्री को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम में संगत परिवर्तन करने पर जोर देता है। NEP विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा के सभी स्तरों पर अन्य बच्चों को प्रदान की जाने वाली समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व को पहचानता है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि विशेष जरूरतों वाला हर बच्चा सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हकदार है। समावेशी शिक्षा शिक्षा के लिए एक नया दृष्टिकोण है जो पारंपरिक रूप से बहिष्कृत समूहों – विशेष रूप से विकलांग और गैर–विकलांग बच्चों और अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले बच्चों आदि के लिए एक ही छत के नीचे शिक्षा तक पहुंच पर जोर देता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि स्कूल पाठ्यक्रम में ऐसी शिक्षण विधियों को शामिल करने का प्रयास करें।

KEYWORDS: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समावेशी शिक्षा, पाठयक्रम, शैक्षिक संरचना, ऐसी शिक्षण विधि

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रावधानों की वकालत की गई है। एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में सीडब्ल्यूएसएन के समावेश और समान भागीदारी की सिफारिश करती है और इस उद्देश्य के लिए समावेश के लिए एक संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जैसे स्कूल परिसरों और संसाधन केंद्रों को संसाधन उपलब्ध कराना, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों का क्षमता निर्माण, शिक्षण–शिक्षण सामग्री और कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा जैसी सह–पाठयक्रम गतिविधियाँ आदि, इस प्रकार सभी शिक्षार्थियों को 21वीं सदी के कौशल से लैस करना।

सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आरटीई और आरएमएसए योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक रही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाता है।

सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आरटीई और आरएमएसए योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक रही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाता है।

यह अधिनियम एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार देता है। आरटीई अधिनियम की धारा 3 (2) विकलांग बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देती है। 2012 के संशोधन के अनुसार, यह भी अनिवार्य है कि, बहु और/या गंभीर विकलांगता वाले बच्चे को घर आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने का अधिकार है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सीडब्ल्यूएसएन की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) की योजना लागू की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य आठ वर्ष की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले सभी विकलांग विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर (कक्षा IX से XII) पर सामान्य शिक्षा प्रणाली में समावेशी और सक्षम वातावरण में चार वर्ष की माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करना है। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC) की CSS के स्थान पर 1–4–2009 से "माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा" (IEDSS) की एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू की गई है। IEDSS योजना का उद्देश्य आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर चुके विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में समावेशी वातावरण में माध्यमिक स्तर (कक्षा IX से XII) में अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाना है।

1. 1974 में, भारत सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC) कार्यक्रम शुरू किया, जो समावेशन की दिशा में पहला

Copyright© 2025, IERJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

औपचारिक कदम था। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य नियमित स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है और उम्मीद है कि इससे उनकी प्राप्ति और पढ़ाई में बने रहने में मदद मिलेगी।

2. सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आरटीई और आरएमएसए योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक रही है। यह सीडब्ल्यूएसएन की पहचान और मूल्यांकन, सहायक उपकरण, सुधारात्मक सर्जरी, ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, वर्दी और चिकित्सीय सेवाओं सहित छात्र–उन्मुख गतिविधियों का समर्थन करता है।

भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में बाधाएँ

भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा को लागू करना अपनी प्राथमिकता बना लिया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कानून, कार्यक्रम आदि बनाए गए हैं, लेकिन नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। भारत में समावेशी शिक्षा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के रास्ते में कई बाधाएँ हैं। भारतीय आबादी की प्रकृति, विविधता, संरचना, जीवन की गुणवत्ता, साक्षरता दर और गरीबी सूचकांक को देखते हुए, भारत में समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन बहुत मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ है।

भारत में सी.डब्ल्यू.डी. के सामने आने वाली मुख्य बाधाएं हैं;

1. माता–पिता द्वारा स्वीकृति का अभाव
2. बदमाशी
3. समाज के सदस्यों का नकारात्मक रवैया
4. शिक्षकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव
5. गैर समावेशी और कठोर पाठ्यक्रम
6. संसाधनों की कमी
7. बुनियादी ढांचागत समस्याएं
8. माता–पिता में अनभिज्ञता
9. नीतियों का अनुचित क्रियान्वयन
10. अनियमित योजनाएँ
11. संसाधन कक्ष का अभाव
12. वित्तीय सहायता का अभाव
13. पूर्वाग्रह और भेदभाव

- **बाधाओं पर काबू पाने के विभिन्न तरीके**

1. शीघ्र पता लगाना और पहचानः शीघ्र पता लगाने से बच्चों को उनकी समस्याओं और विशेष आवश्यकताओं को समझने और उचित सहायता प्रदान करने में मदद मिल सकती है।
2. अभिभावकों में जागरूकताः अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, उसकी अपनी ताकत है तथा वह अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सकता है।
3. कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकनः मानक परीक्षण और अभ्यास विकलांगता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
4. उचित पाठ्यक्रमः पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकें। इसे व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का पता लगाने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके।
5. वित्तीय सहायताः स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे समावेशी शिक्षा कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चला सकें।
6. शिक्षक प्रशिक्षण संसाधन सहायताः शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने चाहिए, और प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए।
7. शैक्षिक प्लेसमेंटः व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी विकलांग बच्चों को लाभकारी रोजगार नहीं मिल पाता है। शैक्षिक संस्थानों को प्लेसमेंट प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट/एनजीओ या सरकारी एजेंसियों के साथ गठजोड़ करना चाहिए।
8. सहायता सेवाएँः माता–पिता, स्कूलों और सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी में सहायता सेवाओं की पहचान करें और उनका उपयोग करें।
9. व्यक्तिगत शैक्षिक योजना (आईईपी): विकलांग बच्चे की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा योजना को अनुकूलित करना।
10. अभिभावक प्रशिक्षण और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमः इस प्रकार के कार्यक्रम प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

भारत में समावेशी शिक्षा प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए, माता–पिता, शिक्षकों और यहाँ तक कि विकलांग बच्चों को भी इस प्रणाली के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और इसके लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। ये लोग कार्यान्वयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे नियमित आधार पर विकलांग बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और उनके आस–पास के वातावरण का निर्माण करते हैं। विकलांग बच्चों को भी अपने समुदायों में दूसरों के साथ समान स्तर पर समावेशी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त होती है। विकलांगता सीखने के अवसरों तक पहुँच और शिक्षार्थी की पूरी क्षमता हासिल करने को प्रभावित करती है। इसलिए एक लचीली शिक्षा प्रणाली तैयार करना अनिवार्य है जो CWSN की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं को पूरा करती हो। समतापूर्ण, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बाधाओं की पहचान करती है और उन्हें दूर करने का प्रयास करती है, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती है और सभी शिक्षार्थियों के लिए सफलता और बेहतर सीखने के परिणामों की नींव रखती है।

समान और समावेशी शिक्षाः सभी के लिए सीखना

सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा – जबकि वास्तव में अपने आप में एक आवश्यक लक्ष्य है – एक समावेशी और न्यायसंगत समाज को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने देखने, पनपने और राष्ट्र में योगदान करने का अवसर मिलता है। शिक्षा प्रणाली को भारत के बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर न खोए। यह नीति इस बात की पुष्टि करती है कि स्कूली शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों तक पहुँच, भागीदारी और सीखने के परिणामों को पाटना सभी शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा।

निष्कर्ष

भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, बड़ी असमानता अभी भी बनी हुई है – विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर – विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से कमतर होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूह (SEDG) को लिंग पहचान (विशेष रूप से महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति), सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे छात्रों से छात्र) के आधार पर मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। गाँव, छोटे शहर और आकांक्षात्मक जिले), विकलांग (सीखने की अक्षमता सहित), और सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियाँ (जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले घर, कमजोर परिस्थितियों में बच्चे, तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, बाल भिखारियों सहित अनाथ बच्चे) शहरी क्षेत्रों में, और शहरी गरीब)। जबकि स्कूलों में समग्र नामांकन ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक लगातार घटता है, नामांकन में यह गिरावट इनमें से कई SEDG के लिए अधिक स्पष्ट है, इनमें से प्रत्येक SEDG के भीतर महिला छात्रों के लिए और भी अधिक गिरावट आती है और अक्सर उच्च शिक्षा में भी तेज होती।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ट संख्या 2, 24 अगस्त 2020
4. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ट संख्या 22 अगस्त 2020
5. राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्टः
6. तन्खा वरूण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका नागौर, 26 अगस्त 2020,
7. सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ट संख्या 80–81
8. अग्रवाल, पवन (2009): श्रम बाजार के अनुरूप उच्च शिक्षा, योजना, अंकः 09 सितम्बर, 2009 पृष्ठ सं. 11–13
9. चन्सौरिया, मुकेश (2009): भारत में उच्च शिक्षाः समस्याएं एवं समाधान, योजना, अंकः 09, सितम्बर, 2009 पृष्ठ सं. 27–30
10. पाण्डेय, हरेश (2007): भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम का विकास, परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, वर्ष 14 अंक–1, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 17 श्री अरविदों मार्ग, नई दिल्ली
11. फांसिस, सौदंराराज, (2001): रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हायर एजुकेशन इन इण्डिया, यूनिवर्सिटी न्यूज, 39(29), ए.आई.यू. नई दिल्ली
12. भटनागर, आर. पी. एवं विद्या अग्रवाल, (2007): शैक्षिक प्रशासन, इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, लायल बुक डिपो, मेरठ
13. रहमान, सफी, (2008) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इंडिया टुडे 25 जून 2008, पृ0 20–21
14. सिंह, एल0.सी., (2003): सेल्फ फाइनेसिंग हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी न्यूज 40,(40), ए.आई.य., नई दिल्ली
15. सारस्वत, मालती एवं बाजपेयी.बी.एल (1996): भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, आलोक प्रकाशन, लखनऊ